न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 143/2022/अपील/एलआरएक्ट/बून्दी
दायरा दिनांक 22.06.2022
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

1. फूला बाई पत्नी मोतीलाल जाति मीणा
2. मुकलेश आत्मज कालूलाल जाति मीणा
3. महावीर आत्मज कालूलाल जाति मीणा
   निवासीगण ग्राम बालापुरा, तहसील नैनवां, जिला बून्दी
4. फोरया पुत्र नंदा जरिये वारिस एवं कायम मुकाम
   4/1. लादी बाई पत्नी फोरया
   4/2. कालूलाल आयु 12 वर्ष नाबालिग
   4/3. दीपक कुमार आयु 10 वर्ष नाबालिग जरिये वली माता लादी बाई पत्नी फोरया
   निवासीगण ग्राम बालापुरा, तहसील नैनवां, जिला बून्दी

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1. घांसी आत्मज धूला जी जाति मीणा निवासी ग्राम बालापुरा तहसील नैनवां, जिला बून्दी
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नैनवां

.....रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक – अपीलार्थी
श्री महेश योगी, अभिभाषक – रेस्पो0 क्र. 1

::निर्णय::

दिनांक 28.05.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) के मिसल संख्या राजस्व/2021/1828 में पारित आदेश दिनांक 08.10.2021 के विरूद्ध प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

28/5/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

1. प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रशासन गांवो के संग अभियान – 2021 अन्तर्गत ग्राम सीसोला में रेस्पो0 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत "ग्राम सुवासड़ा खातेदार घासी पुत्र धूला कौम मीना खसरा सं0 831/661 रकबा 2.4270 है0" के प्रस्तावित अनुसार नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने का अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां द्वारा क्रमांक/राजस्व/2021/1828 दिनांक 08.10.2021 को निर्णय पारित किया गया।

2. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.10.2021 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत प्रथम अपील पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि, न्याय एवं संचिका में सिद्धी प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरित है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को बिना नोटिस एवं सुनवाई के आदेश प्रदान कर दिया, जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। ग्राम सुवासड़ा, तहसील नैनवां में अपीलार्थी क्रम 1 लगायत 3 के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की खसरा नम्बर 842/661 रकबा 0.32 हेक्टर व अपीलार्थी क्रम 4 के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की खसरा नम्बर 661 रकबा 0.32 हेक्टर आराजी स्थित है। उक्त आराजी के पास ही रेस्पोडेन्ट की आराजी खसरा नम्बर 831/631 रकबा 2.42 हेक्टर आराजी स्थित है, जिस पर बाद आवंटन से रेस्पो० व अपीलार्थी मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं, किन्तु रेस्पो० द्वारा राजस्व कर्मचारियों के साथ मिलीभगत कर अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर उसी दिन कैम्प में प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का आदेश प्रदान कर दिया, जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। अपीलार्थी का अपनी आराजी पर पूर्व की भांति आज भी रिकॉर्ड के अनुसार मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है, किन्तु फिर भी रेस्पो० के आवेदन पर अपीलार्थी को सूचना एवं नोटिस प्रदान किये बिना ही नक्शा दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान कर दिये जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। फोरिया का वर्ष 2017 में स्वर्गवास हो गया। अपीलार्थी को आदेश प्रदान करने से पूर्व ना तो कोई नोटिस दिया गया और ना ही कोई सूचना ही प्रदान की गई। अपीलार्थी को हाल ही में हल्का पटवारी द्वारा आदेश के बारे में बताने पर जानकारी हुई कि अपीलान्ट की आराजी का रेस्पो० द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर नक्शा त्रुटिपूर्ण रूप से दुरूस्त करवाने का आदेश प्राप्त कर लिया है जिस पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 01.04.2022 को नकल का आवेदन करने पर दिनांक 05.04.2022 को नकल प्राप्त हुई, जिस पर स्वयं तहसीलदार द्वारा गलत रिपोर्ट प्रस्तुत हो जाने से अपील करने की लिखा गया किन्तु हाल ही में तहसीलदार से मिलने पर

28/5/2025 आयुक्त कोटा

उन्होंने बताया कि अपीलार्थी स्वंय भी अपील कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.10.2021 निरस्त फरमाया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को बिना नोटिस एवं सुनवाई के आदेश प्रदान कर दिया अपीलार्थी का अपनी आराजी पर पूर्व की भांति आज भी रिकॉर्ड के अनुसार मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है, किन्तु फिर भी रेस्पो० के आवेदन पर अपीलार्थी को सूचना एवं नोटिस प्रदान किये बिना ही नक्शा दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान कर दिये जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां के द्वारा स्वयं भी पत्रांक राजस्व/2022/399 दिनांक 15.03.2022 से तहसीलदार, नैनवां को पत्र प्रेषित कर यह वर्णित किया है कि "पटवारी हल्का सीसोला द्वारा सहवन से तरमीम दुरूस्ती प्रस्ताव बना दिये जाने एवं जांच में सही नहीं पाया जाना अंकित किया गया है। अतः उक्त संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि तरमीम दुरूस्तीकरण आदेश निरस्त करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में अपील किया जाना सुनिश्चित करें। इस प्रकार स्वयं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उक्त निर्णय त्रुटिपूर्ण है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.10.2021 निरस्त फरमाया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपने पक्ष के समर्थन में कथन किया कि रेस्पो0 अपनी आराजी पर सही जगह काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार नैनवां को अपील प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है, ना कि अपीलार्थी को। अतः अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर खारिज की जावे।

6. प्रस्तुत अपील का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि अपीलार्थी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 08.10.2021 के विरूद्ध अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 06.06.2022 को विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। इस संबंध में अपीलार्थी के द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 5

मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश कर कथन किया गया कि अपीलार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा बिना सुनवाई, बिना सूचना के ही निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी हल्का पटवारी के द्वारा बताने पर हुई कि अपीलार्थीगण की आराजी पर रेस्पो0 के द्वारा नक्शा त्रुटिपूर्ण रूप से दुरूस्त करवाने का आदेश प्राप्त कर लिया है। साथ ही प्रकरण में तहसीलदार नैनवां से मिलने पर उनके द्वारा अपील प्रस्तुत करने का उल्लेख किया गया तथा यह भी अवगत कराया गया कि अपीलार्थी भी उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील पेश कर सकते हैं। इस कारण प्रस्तुत अपील विधिक राय लेकर दिनांक 15.05.2022 को नकल प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 23.05.2022 को नकल प्राप्त कर अपील माननीय न्यायालय में पेश की गई है। अपीलार्थीगण गरीब एवं ग्रामीण मजदूर पेश व्यक्ति है। अतः न्यायहित में अपील विलम्ब से पेश किये जाने की अवधि को कन्डोन फरमायी जावे।

इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा विवेचित उपरोक्त तर्क के संबंध में रेस्पो0 द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों का खण्डन नहीं किया गया और न ही खण्डन में कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया। लिहाजा इस स्टेज पर अपील अपीलार्थी को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित प्रकट होता है।

7. हमने अपील पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रशासन गांवो के संग अभियान – 2021 अन्तर्गत ग्राम सीसोला में रेस्पो0 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत "ग्राम सुवासड़ा खातेदार घासी पुत्र धूला कौम मीना खसरा सं0 831/661 रकबा 2.4270 है0" के प्रस्तावित अनुसार नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने का अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां द्वारा क्रमांक/राजस्व/ 2021/1828 दिनांक 08.10.2021 को निर्णय पारित किया गया। प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान – 2021 ग्राम पंचायत सीसोला में ग्राम सुवासड़ा के खातेदार प्रार्थी घासी पूत्र धूला जाति मीणा के द्वारा खसरा सं0 831/661 रकबा 2.4270 है0 की तरमीम दुरूस्ती किये जाने हेतु दिनांक 08.10. 2021 को प्रार्थना–पत्र पत्र पेश किये जाने पर उक्त दिनांक को ही प्रस्तावित नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने का निर्णय पारित किया गया। पत्रावली में उपलब्ध पटवारी हल्का सीसोला की मौका रिपोर्ट दिनांक 08.10.2021 में यह अंकित किया गया कि "DILRMP

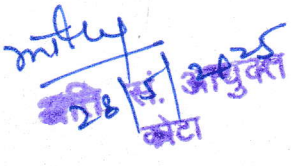

योजना के अन्तर्गत शत् प्रतिशत तरमीम करना अनिवार्य था, उस समय प्रार्थी की तरमीम सहवन से गलत स्थान पर दर्ज हो गई है। जहां पर तरमीम हुई है, वहां पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है। उस जगह अन्य व्यक्ति (समीपस्थ खातेदार) का कब्जा काश्त है।" इस प्रकार स्वयं पटवारी हल्का द्वारा उक्त तरमीम का गलत होना दिनांक 08.10.2021 को ही अंकित किया जाना प्रकट होता है। इस संबंध में स्वयं अपीलार्थी के द्वारा भी दिनांक 08.10.2021 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कब्जा अनुसार तरमीम शुद्ध करने का निवेदन किया गया। किंतु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां के द्वारा पत्रावली अनुसार उक्त प्रार्थना–पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं किया जाना प्रकट होता है। इसके उपरांत उपखण्ड अधिकारी, नैनवां के द्वारा पत्रांक राजस्व/2021/1968 दिनांक 12.10.2021 से तहसीलदार नैनवां को तरमीम दुरूस्ती की पालना किये जाने हेतु लिखे जाने पर संबंधित पटवारी हल्का के द्वारा तरमीम दुरूस्ती आदेश को निरस्त किये जाने का तहसीलदार, नैनवां से अनुरोध किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां के द्वारा पत्रांक राजस्व/2022/399 दिनांक 15.03.2022 से तहसीलदार, नैनवां को निर्देशित करते हुए तरमीम दुरूस्तीकरण के आदेश का निरस्त करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में अपील पेश किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वयं उक्त तरमीम को त्रुटिपूर्ण माना है। साथ ही अपीलार्थी का तर्क है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.10.2021 अपीलार्थी को बिना नोटिस दिये तथा सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.10.2021 को न्यायोचित नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.10.2021 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां को इन दिशा–निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में पुनः तर्कसंगत एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

8. निर्णय आज दिनांक 28.05.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे इजलास सुनाया गया।

28/5/2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा